

मि०न० - 25/2023

अनवान :-

1. अलीबाबाखों पुत्र हमीद जाति कसमखानी गिवासी भावरा त० भावरा।

-पार्थी

बनाम

1. भंवरखों पुत्र हमीदखों जाति कसमखानी गिवासी भावरा त० भावरा।
2. चन्द्रपति पत्नी बलजीत जाति जाट गिवासी मुन्सारी त० भावरा।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जारिसे तहसीलदार भावरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 261 ए आरटीएक्ट सपठित
धारा 8(2) राज० कोल० एक्ट

उपरिष्ठाति :- श्री भानूप्रतापसिंह प्रार्थी
श्री अमरजीत बैनीवाल अप्रार्थी


निर्णय

दिनांक:

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही गौजा चक 10 एमएसआर के खाता सं० 11/6 के मु०न० 6 के किला न० 23/3, 24/2, मु०न० 9 के किला न० 3/5, 3/6, 4/1, 4/2 की कुल 0.557है० नहरी मय खाला खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की खातेदारी के चिपते ही उतरी तरफ अप्रार्थीया चन्द्रपति की चक 10 एमएसआर के खाता सं० 93/83 के मु०न० 6 के किला न० 13/2 की 0.0025है० नहरी व अन्य भूमि स्थित है। तथा अप्रार्थी भंवरखों की खातेदारी चक 10 एमएसआर के खाता सं० 79/68 के मु०न० 6 के किला न० 3/2 की 0.190है० किला न० 8/2 की 0.190है० नहरी किला न० 13/3 की 0.051है० नहरी अन्य खातेदारी के साथ स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी में आवागमन हेतु मु०न० 6 के किला न० 3/2 में पश्चिमी तरफ व किला न० 8/2 में भी पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण व किला न० 13/3 में पश्चिमी तरफ पूरी लम्बाई में चलकर इसी किला के दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्वी तरफ चलकर अप्रार्थीया चन्द्रपति की खातेदारी के मु०न० 6 के किला न० 13/2 में पश्चिमी तरफ व किला न० 18/2 में पूरी लम्बाई में पश्चिमी तरफ व किला न० 23/2 में भी पश्चिमी तरफ पूरी लम्बाई में उतर से दक्षिण की तरफ चलकर अपनी खातेदारी में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता सदामद से चालू रास्ता है जबकि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण बंद करने की धमकी देते हैं। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी के अधिकारों को सुरक्षित

COMPAIRED BY


उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भावरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रमाणित प्रतिनिधि

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भावरा, जिला-हनुमानगढ़

Page 1 of 2

उपयोग-उपभोग के लिए उपरोक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली में प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया।

बहस वकील उभयपक्षाकारान सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने भी इस पर सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा चक 10 एमएसआर के खाता सं० 11/6 के मु०न० 6 के किला न० 23/3, 24/2, मु०न० 9 के किला न० 3/5, 3/6, 4/1, 4/2 की कुल 0.557 है० नहरी मय खाला खातेदारी में आवागमन हेतु उपरोक्त प्रस्तावित रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है। इस हेतु प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने किराी भी प्रकार का लेनदेन अथवा रास्ता एवज में भूमि लेना स्वीकार नहीं किया है। अतः मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे चक 10 एमएसआर के मु०न० 6 के किला न० 3/2 में पश्चिमी तरफ पूरी लम्बाई में व किला न० 8/2 में पश्चिमी तरफ पूरी लम्बाई में उतर से दक्षिण तथा किला न० 13/3 में पश्चिमी तरफ पूरी लम्बाई में चलकर इसी किला के दक्षिणी तरफ पश्चिम से पूर्वी तरफ चलकर मु०न० 6 के किला न० 13/2 में पश्चिमी तरफ पूरी लम्बाई में व किला न० 18/2 में पूरी लम्बाई में पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण व किला न० 23/2 में भी पश्चिमी तरफ पूरी लम्बाई में एक एक गट्टा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। उपरोक्तानुसार रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकॉर्ड दुरुस्त करें।

निर्णय आज दिनांक 24-06-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्डाधिकारी(राजस्व)
भादरा, जिला-हनुमानगढ़

(ओ पी चन्देलिया)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला-हनुमानगढ़

- (A) रजिस्टर नं. दिनांक
- (B) प्रा.पत्र देने वाले का नाम
- (C) नकल तैयार होने की दि.
- (D) नकल देने की दि.
- (E) फीसिंग टिकट रुपये
- (F) अन्य लक्ष्यता का नाम.